






| दिनांक | पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश   | अभियुक्ति                                |
|--------|---|--|
| ३-१-१७ | <p>वाद की समय सीमा समाप्त।<br/>           किसी प्रकार के अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। अंतिम निष्पादन हेतु अभिलेख राष्ट्रीय लोक अदालत भेजें।</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             अनुमण्डल दण्डाधिकारी,<br/>             रंका।           </p>  |  |
| १/१/१७ | <p>अभिलेख उपस्थापित।<br/>           वाद की कार्यवाही थाना प्रभारी .....<u>रंका</u>..... से प्राप्त प्रतिवेदन/आवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर प्रारंभ की गई थी। वाद की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने एवं किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना भी प्राप्त नहीं होने के कारण वाद की कार्यवाही यथास्थिति समाप्त की जाती है।</p> <p>  सदस्य- 1<br/>             लो0अ0, गढ़वा           </p> <p>  सदस्य- 2<br/>             लो0अ0, गढ़वा           </p> <p>  सदस्य- 3<br/>             लो0अ0, गढ़वा           </p> <p style="text-align: center;">  </p> | <p style="text-align: right;">१/१/१७</p> |